

कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर लगा 11650 रु. का अर्थदण्ड
(निगम के विभिन्न जोनों में प्रतिदिन की जा रही कार्यवाही)



कोरबा 29 अगस्त 2020 – सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने तथा नियमों का उल्लंघन करने पर निगम अमले द्वारा आज 29 अगस्त को अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 11650 रूपये का जुर्माना लगाया गया। लोगों को हिदायत दी गई की वे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बेवजह सड़क, सार्वजनिक स्थानों पर न घूमें।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व उसके नियंत्रण की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने, निर्धारित समय के पश्चात भी दुकान खोलने, साप्ताहिक अवकाश पर दुकान खोलने तथा नियमों का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 29 अगस्त को भी निगम के विभिन्न जोनों में यह कार्यवाही की गई तथा 11650 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

लगातार किया जा रहा जनजागरूकता कार्य – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डों, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गों आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा कर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करने संबंधी जनजागरूकता का कार्य निरंतर किया जा रहा है। लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए मास्क

अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर ही सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले।

नियमों का पालन कराने जुटा रहा निगम का अमला— नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी. नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा एवं सर्वमंगला सभी 08 जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला कोविड-19 से संबंधित नियमों एवं जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराने में जुटा रहा। निर्धारित समय के पश्चात दुकानें खुली न रहे, निर्धारित समय पर दुकानें बंद हों, इस पर निगम अमले ने सतत नजर रखते हुए दुकानों को समय पर बंद कराया तथा जिन दुकानदारों द्वारा समय के पश्चात भी दुकानें खोल रखी गई थी, उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की सतत निगरानी— नगर पालिक निगम कोरबा के सभी 08 जोन में स्थित वार्डों में होम क्वारन्टाईन पर रह रहे लोगों की सतत निगरानी दलों के द्वारा की जा रही है, आज भी निगरानी दल के सदस्य होम क्वारन्टाईन लोगों के घरों तक पहुंचे तथा औचक रूप से निरीक्षण किया, इस दौरान होम क्वारन्टाईन पर रह रहे सभी व्यक्ति अपने घरों पर ही पाये गए। निगरानी दल के सदस्यों ने उन्हें समझाईश दी कि वे अपने घर के बाहर कदापि न निकले, घर पर ही आराम से रहें। इसके साथ ही दल के सदस्यों ने होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की।